

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क./बी-6/नियमन/रबी विपणन/403/2014

भोपाल, दिनांक 04/10/2019

प्रति,

1. संयुक्त / उप सचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय(समस्त)
2. भारसाधक अधिकारी / सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति.....(समस्त)

विषय:- खरीफ-2019 में प्राईस स्पोर्ट स्कीम अंतर्गत अरहर, मूंग एवं उड़द समर्थन मूल्य पर उपार्जन बावत।

संदर्भ:- मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 15 अक्टूबर 2019

विषय संदर्भ मे लेख है कि खरीफ-2019 में प्राईस स्पोर्ट स्कीम अंतर्गत अरहर, मूंग एवं उड़द समर्थन मूल्य पर उपार्जन हेतु वार्षिक कैलेन्डर घोषित की गई अधिसूचना प्राप्त हुई है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

प्रश्नाधीन अधिसूचिना मे खरीफ मौसम वर्ष 2019 में प्राईस स्पोर्ट स्कीम अंतर्गत प्रदेश के जिलो के कृषको द्वारा उत्पादित अरहर, मूंग एवं उड़द का समर्थन मूल्य पर उपार्जन करने मध्यप्रदेश शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है। उक्त फसल अरहर, मूंग एवं उड़द का वार्षिक कैलेन्डर परिभाषित घोषित किया गया है।

अतः आपके मण्डी क्षेत्रान्तर्गत मण्डियों मे उक्त अधिसूचना को चर्पा कर, प्रचार-प्रसार करने की आवश्यक आगामी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

04/10/2019
अपर सचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय

अधिसूचना

भोपाल ,दिनांक 15 अक्टूबर 2019

मध्यप्रदेश में खरीफ मौसम वर्ष 2019 में प्राइस सपोर्ट स्कीम अन्तर्गत प्रदेश के जिलों के कृषकों द्वारा उत्पादित अरहर, मूँग एवं उड्ड का समर्थन मूल्य पर उपार्जन करने का मध्यप्रदेश शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है।

मध्यप्रदेश के जिलों में प्राइस सपोर्ट स्कीम योजना अन्तर्गत वर्ष 2019 मौसम खरीफ के लिये परिशिष्ट-1 अनुसार फसल अरहर, मूँग एवं उड्ड का वार्षिक कैलेन्डर परिभाषित घोषित किया जाता है:-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(मुकेश शुक्ल)
सचिव

मध्यप्रदेश शासन


किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल ,दिनांक 15 अक्टूबर 2019

पृ.क.बी/बी-16-5/2019/14-2, 14585
प्रतिलिपि:-

- विशेष सहायक, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल।
- विशेष सहायक, माननीय मंत्री किसान कल्याण तथा कृषि विकास की ओर सूचनार्थ।
- विशेष सहायक, माननीय राज्यमंत्री किसान कल्याण तथा कृषि विकास की ओर सूचनार्थ।
- सचिव भारत सरकार, किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली कृषि विकास की ओर सूचनार्थ।

AD(BB)
DD(P)
DD(BB)
16/10/19



1314
16/10/19
DD(BB)

DD(P)/1021
17-10-19

18
DD(BB)
PM 3
17/10/19
2190
18/10/19

AD(BB)
17/10/19

- 5— अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त मंत्रालय म.प्र. भोपाल।
- 6— अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग भोपाल।
- 7— समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 8— श्री अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
- 9— प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल।
- 10— प्रमुख सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल।
- 11— प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग।
- 12— प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, समन्वय मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
- 13— प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग, भोपाल को योजना के प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित।
- 14— प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग भोपाल।
- 15— सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय भोपाल।
- 16— कुलपति जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर।
- 17— कुलपति, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियार।
- 18— आयुक्त सह पंजीयक, मध्य प्रदेश भोपाल।
- 19— आयुक्त भू-अभिलेख ग्वालियर मध्य प्रदेश।
- 20— आयुक्त (संस्थागत वित्त) मध्य प्रदेश भोपाल।
- 21— आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल को उपरोक्त अनुक्रम में आवश्यक कार्यवाहियों हेतु प्रेषित
- 22— आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय भोपाल।
- 23— नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर भेजकर निवेदन है कि कृपया सूचना को मध्य प्रदेश साधारण राजपत्र में प्रकाशित करते हुये उसकी 125 प्रतियाँ इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।
- 24— समस्त संभागायुक्त, म.प्र.।

- 25— संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, संचालनालय, भोपाल।
- 26— प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
- 27— प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन संघ, भोपाल।
- 28— प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल।
- 29— प्रबंध संचालक, म.प्र. वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, भोपाल।
- 30— समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, भोपाल।
- 31— एस.आई.ओं (राष्ट्रीय सूचना केन्द्र—एन.आई.सी.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंकित।
- 32— समस्त संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संभाग कार्यालय।
- 33— समस्त उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कार्यालय।
- 34— समस्त परियोजना संचालक, आत्मा, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कार्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



सचिव

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल